LOK SABHA

Monday, May 9, 1983/Vaisakha 19, 1905 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Damage Caused by Rain

*932. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :
SHRI NAVIN RAVANI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unusual rain in many parts of the country in the month of April, 1983 has severely affected the standing rabi crop ;

(b) the extent of damage caused to the standing rabi crop due to this rain in each State ; and

(c) what measures are proposed to be taken in this regard and what efforts have been made for the safety of the harvested crop ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The rains, hail and strong winds in April this year have caused some damage in areas mostly in the North Western parts of the country.

(b) It is too early to assess exactly the State-wise damage caused by rains to rabi crops, however, the rabi crop this year is expected to reach a record level.

(c) The States have been advised to render all possible assistance to the farmers for harvesting and threshing the crops with the least possible delay. They have also been advised to ensure continuous supply of electricity and diesel during threshing operations. The weather condition is continuously monitored to give timely warning to the farmers.

श्री नवल किशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल खरीफ की फसल में तो दुर्भाग्य से वर्षा नहीं हुई जिसके कारण देश के विभिन्न प्रान्तों में भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद रबी की फसल के सिंचित क्षेत्र में अप्रैल में हुई बारिश से काफी बड़ी तादाद में किसानों की खड़ी हुई और कटी हुई फसल को बारिश और ओलों से क्षति हुई है।

मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन नहीं किया जा सका। लेकिन यह बात सही है कि उत्तरी भारत के अनेक राज्यों—राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यू०पी०, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार—में इस बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों को फ़सल की प्राप्ति की जो थोड़ी-बहुत आशा थी, वह कहीं फ़सल को ओलों से क्षति होने और कहीं कटी हुई फ़सल के भीग जाने से पूरी नहीं हुई है। उस क्षति के लिए सहायता देने के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने पार्ट (सी) में जो जवाब दिया है, वह जवाब मैं संतोषप्रसाद नहीं मानता। यह ठीक है कि सरकार ने बिजली और दूसरी सुविधाओं का इन्तज़ाम किया, ताकि किसानों का हारवेस्टिंग जल्दी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों ने जो खेती की थी, वह बर्बाद हो गई और उनकी उपज कम

हो गई, तो किसानों को राहत देने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। हम चाहते हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े, लेकिन किसानों ने कोआपरेटिव सोसायटियों, बैंकों और दूसरी जगहों से कर्ज़ा ले कर जो फ़सल पैदा की थी, जब वह नष्ट हो गई, या उसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया, तो सरकार किसान को सहायता देने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार उन किसानों के कर्ज़ों को माफ़ करेगी या उनकी वसूली को स्थगित करने की कार्यवाही करेगी? क्या सरकार बैंकों को भी उनके कर्ज़ों के बारे में निर्देश देगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the Agriculture Minister the power to do all these things ?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : That is what I am asking.

क्या सरकार का कोई इरादा है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए वह उन्हें पर-हैक्टर या पर-बीघा कुछ सहायता दे? क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी सहायता दें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की अपनी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है—खास तौर से मैं राजस्थान के संदर्भ में कह सकता हूं—कि वे कुछ सहायता कर सकें। उड़ीसा के बारे में भी समाचार आए हैं कि वहां 21,000 हैक्टर भूमि में डिफ़ेक्टिव सीडलिंग्ज़ के कारण लगभग 37 क्विंटल पर-हैक्टर के बजाए केवल 3 क्विंटल पर-हैक्टर उत्पादन हुआ है। इससे किसान बर्बाद हो गये हैं और तीन आदमियों ने आत्म-हत्या कर ली है। क्या केन्द्रीय सरकार किसानों की सहायता के लिए कोई कारगर कदम उठाएगी और केन्द्रीय कोष से कोई धनराशि आवंटित करेगी?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : सूखे से जितना नुकसान देश के अलग अलग प्रान्तों में हुआ है, उसके लिए जो सहायता भारत सरकार ने दी है, उसका ब्यौरा बार-बार हाउस में दिया जा चुका है। काफी नुक्सान हुआ है, लेकिन सूखे से परेशान लोगों को इस साल सहायता भी इतनी दी गई है, जितनी पहले कभी नहीं दी गई। मेरा अन्दाज़ा है कि 800 करोड़ रुपए की रकम से ऊपर इस साल सूखे के कारण सहायता के लिए मन्जूर की गई है। अप्रैल के बीच जो बारिश हुई, वह बेवक्त थी, इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं बार-बार बता चुका हूं—और मुझे उम्मीद है कि हाउस अब उससे एग्री करेगा—कि इतना नुक्सान नहीं हुआ है, जिससे कोई घबराहट या परेशानी हो। वही बात सिद्ध भी हो चुकी है और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि गेहूं की फसल को जितना नुकसान हुआ है वह बहुत मामूली है। रंग खराब हो गया है या कहीं कहीं किसी किसान का बदकिस्मती से जहां अनाज कटा पड़ा था और उस खेत में पानी भर गया वहाँ अनाज उग भी गया है।

राजस्थान तो वैसे ही खुश्क इलाका है। वहां एक दो बार किसी किसी जगह जैसे अलवर में, जोधपुर में, नागौर में या बीकानेर में बारिश ज्यादा हुई लेकिन वह बारिश बेलकम भी होनी चाहिए। लोगों को पीने को पानी मिल गया, मवेशियों के लिए घास का तिनका पैदा हो गया जो उनके लिए चारे के काम आ गया उससे नुकसान बहुत ही कम हुआ है। राजस्थान जैसी जगह के अन्दर तो उससे फायदा पहुंचा है।

जहां ज्यादा गेहूं पैदा होता है वह इलाके हरियाणा, पंजाब, वैस्टर्न यू०पी० तथा मध्य प्रदेश के इलाके हैं। इन इलाकों में इस बेवक्त बारिश के बावजूद अब भी हम उम्मीद करते हैं कि गेहूं की फसल इतनी ज्यादा होगी कि जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। रेकार्ड-तोड़ गेहूं की फसल होगी। हमारा अन्दाज़ा है कि 40 मिलियन टन से ऊपर गेहूं अब भी पैदा होगा। जिस तेजी से गेहूं मंडियो में आ रहा है वह बहुत ज्यादा है। आज के दिन करीब करीब 2 लाख टन गेहूं रोज़ाना मंडियों के अन्दर आ रहा है। प्रोक्योरमेंट भी इस तेजा से

चल रहा है कि पिछले साल इस दौरान जितना हुआ था उससे कहीं 5 लाख टन अधिक हो चुका है। अगर इस बारिश से ज्यादा नुक्सान हुआ होता और फसल भीग गई होती या बरबाद हो गई होती तो इतनी जल्दी फसल निकल कर मंडियों में आने वाली नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल है अन्दाज़ा लगाना कि एक प्रतिशत नुक्सान हुआ या दो प्रतिशत नुक्सान हुआ, अनाज के वजन में नुक्सान हुआ या सिर्फ उसके रंग में फर्क पड़ गया जिसकी वजह से वह खराब हो गया। यह परेशानी की कोई वजह नहीं है और मैं माननीय सदस्य से भी यही इल्तिजा करूंगा कि इस तरीके से वह परेशान न हों ताकि इनकी परेशानी देखकर कहीं और मंडियों के अन्दर भाव बढ़ने न शुरू हो जायें और देश को हानि पहुंचे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now your Second Supplementary—a short Supplementary.

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं उत्पादन के गिरने से परेशान नहीं हूं न मैं ने यह कहा था। मेरा तो निवेदन यह था कि किसानों को जो हानि हुई है उस हानि के लिए उनको कम्पेन्सेन्शन देने के बारे में क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार निर्देश देगी और आर्थिक सहायता करेगी, चाहे दस परसेंट हो, चाहे दो परसेंट हो या तीन परसेंट हो, उसके बारे में जवाब नहीं आया। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दूसरे सप्लीमेंट्री के उत्तर में इस बारे में कुछ रोशनी डालें।

दूसरा निवेदन मैं कर रहा था कि यह बात सही है, जैसा मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि फसल का रंग खराब हो गया, वह भीग गई, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, एक पार्ट में हो गई या कुछ किसानों की हो गई। मैं अभी आज ही राजस्थान के अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से लौटा हूं। असल में जो खराब फसल हो गई है उसकी स्थिति यह है कि वह खराब फसल 80 रुपए और 90 रुपये क्विंटल के भाव से बाजार में बिक रही है। आपने अभी सब जगह परचेज़ शुरू नहीं किया है और छोटे किसान की मजबूरी यह है कि उसको अपना गल्ला ज्यों ही तैयार होता है वैसे ही उसे बेचना पड़ता है। तो क्या वह एश्योर करेंगे कि उन सारे इलाकों के अन्दर जो उनकी परचेज़ की कार्यवाही है उसे जल्दी शुरू करेंगे और जो फसल खराब भी हुई है रंग के कारण या किसी दूसरे कारण से उस फसल को वह खरीदेंगे तथा उसको सपोर्ट प्राइस दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो सुझाव श्री नवलकिशोर शर्मा जी ने दिया है उसको मेरे साथी फूड-मिनिस्टर सुन रहे हैं और जितनी उनसे सहायता हो सकती है—जैसे पिछले साल किया गया था खास तौर से किसानों की मदद के लिए हमने कुछ भीगा हुआ अनाज, जिसका रंग खराब हो गया था, उसी भाव पर खरीदा था जो सरकार ने तय किया था, इस साल भी अगर कोई ऐसी समस्या होगी तो उसके लिए सरकार गौर करेगी और फूड मिनिस्टी की तरफ से इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है।

जहां तक सहायता की बात है—जहां किसानों के अलग-अलग इण्विजुअल लासेज़ हो जाते हैं, उसके लिए सहायता देना—भारत सरकार की न कोई ऐसी नीति है और न उसके लिए हमारी कोई स्कीम है। जहां तक मुझे मालूम है—अलग अलग राज्यों में स्पेशल गिरदावरी कराने के लिए राज्य की सरकारों ने हुक्म दिये हैं और उम्मीद करता हूं जहां किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, वहां राज्य की सरकार की तरफ से सहायता देने के लिए अगर उन्होंने ज़रूरी समझा तो कोई स्कीम बनाई जाएगी। वे दे सकते हैं—इसके लिए अलग-अलग मैनुअल्ज़ सहायता देने के लिए उनके रैवन्यू कोड में हैं। भारत सरकार की तरफ़ से इस तरह का न कोई निर्देश दिया जा सकता है और न इससे पहले कभी दिया गया है। अगर किसी किसान का फर्दन-फर्दन नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को पूरा करने के

लिए भारत सरकार ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए असमर्थ है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Due to sudden and massive down-pour, there was devastating flood in Tripura. There are already fifty relief camps. Many people have died. Standing crops have been destroyed. Has the Central Government received any primary report from the Government of Tripura ? If so, is the Government contemplating to extend financial and other help to the Government of Tripura ?

RAO BIRENDRA SINGH : Any memorandum received in such cases is considered by the Government of India after its receipt. We give assistance according to the guidelines and the policy laid down by the Seventh Finance Commission. The Eighth Finance Commission is going to look into this problem. Agriculture Ministry will be placing the views of the Ministry as also of hon. Members of Parliament as they come to our notice from time to time. We hope that in the light of experiences gained, the new Finance Commission will be considering all these matters and shall perhaps be devising a new policy so that in case of natural calamities the assistance continue to be given by the Central Government to the States.

SHRI XAVIER ARAKAL : Crops are damaged in one part of the country due to heavy rains, whereas in the other part of the country crops have been devastatingly damaged for a few decades due to drought. Committees have submitted their report. Hon. Minister just now mentioned that it is under the consideration of the Government and the Planning Commission. My question relates to two aspects. It is a reality that State finances do not help these farmers, because States' own financial position is very precarious. Under these circumstances what does the Central Government propose to do till the Planning Commission and other Ministries take it into consideration ? My more important part of the question relates to the Commodities Board. The assistance given by the Central Government to the State Governments do not go to the Board. For instance the Cardamom Board does not get any paisa which you are giving to the State Government. What has to be done in this situation ?

Minister may kindly give positive answer in regard to the paucity of funds and the precarious position of the Cardamom Board.

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, the Ministry of Agriculture has got no scheme for augmenting the State's resources or revenue. Outside the Planning Commission, I am not in a position to say anything. The hon. Minister of Planning is sitting here. If the States have any difficulty in managing their finances, they approach the Planning Commission and any question of this sort should be addressed in my view, and you would agree with me, to the Planning Commission.

MR. DEPUTY-SPEAKER :

Shri R.P. Gaekwad—Not present.

Shrimati Sumati Oraon—Not present.

Shri Ramavatar Shastri—Not present.

Shri Ram Awadh—Not present.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : You speak to the Minister separately. I will not allow like this. I have gone to the next question.

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स के प्रशिक्षणार्थियों के खर्च में कटौती

*937. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री रतन सिंह राजदा :

क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि को कम कर दिया गया है;